मे ही होती है, उसके चलते बहुत कठिनाई होती है, मानसून पर बहुत अधिक यह निर्भर करती है । लेकिन हम इस वर्ष कई चीजों के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है कि अगर प्रोडेक्शन में कमी आएगी तो दूसरी तरह के जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका भी उपयोग इस मामले में हो सकता है ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Sardar Jagjit Singh Aurora.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, I think my question has already been given as a supplementary.

MR. CHAIRMAN: Very good.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, as regards the measures that are being taken, I would like to know whether there is any time-bound programme, whether they hope to see any improvement and, if so, within how much time. Has anything been worked out or are we working on general lines at the end of which we may find that the progress has not only been small, but also very small?

SHRI VIREN J. SHAH: Particularly in the 'Kisan Decade' !

श्री नितिश कुमार : यह माननीय सदस्य ने बैठे-बैठे ठीक ही कहा कि सरकार ने इसको किसान दशक घोषित किया है इसलिए हर प्रकार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार दृत संकल्प है । बीजों के भी उन्नत किस्म निकालने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं और कई उन्नत किस्म के बीजों का विकास हुआ है । अरहर में एक संकर किस्म के बीज का विकास हुआ है और जल्दी पकने वाली जातियों का भी विकास हुआ है । ये सब प्रयत्न किए जा रहे हैं और प्रयत्न फलल होंगे ऐसी हमें उम्मीद है ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Balanandan.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, there is import of edible oils on a large scale by the Government of India since we are lacking in edible oils production. May I ask the Minister one thing? We are having a lot of land and the oilseeds cultivation can be easily encouraged in the country.

MR. CHAIRMAN: The main question is about pulses.

SHRI E. BALANANDAN: I am asking about edible oils.

MR. CHAIRMAN: No. The question is about pulses only.

SHRI E. BALANANDAN: Yes, Sir. The question is about pulses. But pulses and edible oils form part of the question ... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Then everything will form part of it ...(*Interruptions*)...You ask questions about pulses. I cannot permit anything about edible oils under this. Now, the next Question. Question No. 122.

Decentralisation of CAPART

*122. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be please to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to decentralise the Council for Advancement of people's Action for Rural Technology by setting up four regional branches thereof; and

(b) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की चार क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित करके इसका विकेन्द्रीकरण करने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, the National Front Government is committed to decentralising all the powers. But this process of decentra-

lisation should be extended to all the sectors. Through voluntary organizations, the CAPART has been doing commendable service in the field of rural development. But, because of the centralisation of powers of the CAPART, most of the voluntary organizations, especially those in the Southern States, are facing a lot of problems and hardships. Therefore, it will be convenient if the Government of India sets up one in each region. But the Minister has given a negative answer and I am unable to understand why he has given a negative answer. I would like to know from the honourable Minister whether he is going to re-examine and reconsider the issue of setting up of four regional branches of CAPART, one in each region.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, इस संबंध में दो वर्ष पहले 5 अप्रैल, 1988 को विस्तार के साथ कार्यकारी समिति अर्थात एक्जीक्यूटिव बॉडी ने विचार किया और बहुत गहराई और विस्तार के साथ विचार किया । इस समिति को रीजनल शाखाएं खोलने का अधिकार है और उसने यह निर्णय लिया कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का अनुभव किया । जहां तक डिलेइंग का सवाल है तो जब पहले-पहल 1986 में "कापार्ट" शुरू हुआ तो उसमें कुछ विलंब हुआ लेकिन अब कोई विलंब नहीं है । तो इसमें जो विलंब की शिकायत सैंक्शन करने में वह इधर जल्दी से सैंक्शन हो रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

DR. NARREDY THULASI REDDY: Sir, my second supplementary. The voluntary organisations are getting 80 per cent of finance of the total cost of the project from the CAPART. The remaining 20 per cent they have to get from banks. But most of the time, in most of the places, most of the banks are not coming forward to give this 20 per cent component to these voluntary organisations under CAPART. This is leading to corruption also. So I would like to know whether the Government is going to make it obligatory on the part of banks to give 20 per cent loan component to these projects under CAPART. Second, I came to know that CAPART is asking one of the identified voluntary organisations in each district to monitor the progress of the work done by other voluntary organisations in each district. This is leading to corruption and nepotism. This particular organisation is sending positive progress reports regariding the favourable organisations and sending negative reports which are against that particular organisation. Is it a fact? If it is a fact, is the Government going to remove this system?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : : महोदय, जहां तक बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं या विलंब का प्रश्न , इस संबंध में सरकार को किसी भी संस्था की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है और यदि शिकायत मिलेगी तो इस संबंध में हम विचार करेंगे । जहां तक संस्थाओं की स्कुटनिंग और उसके द्वारा गड़बड़ी पैदा करने का प्रश्न , तो ऐसी जितनी भी शिकायतें आती हैं उन पर तुरंत कार्यवाही की जाती है और अब उसमें विलंब नहीं होता है। शुरू-शुरू में इसके नियम आदि बनाने में देर हुई लेकिन 1988 के बाद से अब ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं "पीपुल्स ऐक्शन फ़ॉर रूरल डेवलपमेंट" बहुत लंबे अरसे से ग्रामीण विकास के कार्य में लगी हुई थी और दूसरी तरफ "कांउसिल फ़ॉर रूरल टेक्नोलोजी" की अलग संस्था थी और यह तय हुआ कि दोनों को मिलाकर "कौंसिल फ़ॉर एडवांसमेंट ऑफ़ पीपुल्स एक्शन फ़ॉर रूरल टेक्नोलोजी" बनाई जाए । यह मेरा सौभाग्य था कि मैं पूर्व संस्था के संचालन मंडल में कुछ वर्षों तक सम्मिलित था और इस नई संस्था के निर्माण से भी मैं सम्बद्ध रहा । उस समय यह अपेक्षा रखी गई थी कि ग्रामीण विकास के काम में तकनीकी सहयोग सहित हम बड़े पैमाने पर सम्मिलित रूप से काम करेंगे । शुरू में जो पैसा इकट्ठा करने का काम था, जो

बाहर से दाता डोनेशन देते थे, वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता था। उस समय सरकार ने ऐसा निश्चय किया था कि ग्रामीण विकास के कार्य के लिए अधिक से अधिक राशि और साधन इस संस्था के माध्यम से जुटाए जाएंगे।

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में यह नितांत आवश्यक है कि इसका विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रेलाइजेशन हो, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा। हाल की बैठक में समिति ने क्या निर्णय लिया यह तो हम नहीं जानते हैं लेकिन हम यह सोच सकते हैं कि जहां ग्रामीण विकास के लिए पंचायती स्तर पर विकेंद्रीकरण हम कांस्टीट्यूशन अमेंड करके लाना चाहते हैं, वहां एक संस्था जो ग्रामीण विकास के काम के लिए ही बनी हुई है, उसका विकेंद्रीकरण कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर होना चाहिए। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तुरंत विचार किया जाए ताकि इस संस्था का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में सहायता मिल सके।

महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संस्था को अधिक कारगर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम को स्वायत्त संस्थाओं द्वारा, वालंटियरी आर्गेनाइजेशंस द्वारा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक राशि इस संस्था के माध्यम से देगी ?

महोदय, तीसरी बात यह है कि यह जो भारत के बाहर से दाता संस्थाएं इसमें सहयोग दे रही हैं, इस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है या लगाने की योजना है जिससे कि अन्य संस्थाओं के केवल ग्रामीण विकास के कार्य के लिए ही साधन आएं और वे इस काम में ही सारे रुपए को लगाएं।

चौथा और अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार ग्रामीण तकनीक को अधिक महत्व दे और इसको गांवों तक पहुंचाने के लिए प्रान्तीय स्तर पर ही इसकी माकूल संख्या बननी चाहिए, क्या सरकार इस बारे में सोच रही है ताकि उनका मानिटरिंग हो, उनका अच्छी तरह से ऑडिट हो, इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था हो ताकि इस संस्था के द्वारा व्यापक पैमाने पर विकेन्द्रित रूप में ग्रामीण इलाकों में तकनीकी विकास हो और गांवों का विकास हो जिसके लिए यह संस्था बनाई गई है ?

श्री उपेन्द्र वर्मा : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया है कि विकेंद्रीकरण के सवाल पर गहराई और ... साथ 5 अप्रैल, 1988 को विचार किया गया था और मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें माननीय सदस्य थे या नहीं, लेकिन माननीय सदस्य अनुभवी आदमी हैं और कापार्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं उस पर जब विचार-विमर्श किया गया था, उस समय यह तय किया गया था कि चूंकि प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए बहुत ऐक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, कोई ऐजुकेशन का होता है, कोई तकनीकी होता है और सब को सेंटर से भेजना पड़ेगा तो उस पर बहुत सा खर्चा पड़ेगा। इस लिए उसका ऐस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इस संस्था के पास ज्यादा पैसा नहीं है कि सरकारी विभाग की तरह से वह काम कर सके। एक तो अनुभवी आदमियों की कमी है और चूंकि अनुभवी आदमी आसन में कम हैं, और अगर रीजनल क्षेत्र में जब आफिस स्थापित करेंगे तो वहां भी अफसर चाहिए, फिर प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए यहां आना पड़ेगा और इसमें काफी विलम्ब होगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत विस्तार के साथ सोचने के बाद जो उसकी ऐक्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसको अधिकार है रीजनल आफिस खोले या नहीं, उस ऐक्जीक्यूटिव कमेटी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI A. G. KULKARNI: As my friend, Dr. Reddy, has mentioned, CAPART is an organisation which is really doing an excellent work, particularly for rural development, slum clearance, watershed programmes, etc. The cooperative trusts are deriv-

ing benefit from it. But I want to know from the honourable Minister whether he is aware that for the last four to five months there is no work going on in CAPART. You have removed all the files to Janakpuri and the officers are sitting here. There is no telephone. I have written a letter to you. Whenever inquiries are made about the projects of the cooperatives which are lying with CAPART, the officers tell me, 'there is no light; only during the day we have to see the files and bring them here; you have asked me today; we will take four or five days.' This is a shoddy way of organising a very benevolent organisation. Secondly, what is happening in CAPART or in the National Cooperative Development Organisation? These two organisations of the Government are excellent organisations. What is happening is socially committed people are not appointed; only bureaucrats are being transferred there. I have nothing against one IAS officer or the other IAS officer. My question is whether there is any possibility that socially committed people who love to work in the rural areas could be found and apointed as heads of these organisation. Thirdly, slum clearance and watershed programmes are pending clearance. Would the Minister kindly look into them? But first please join up these offices; otherwise, we are at a disadvantage.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य का यह सवाल बिल्कुल सही है, यह कहना बिल्कुल सही है कि कापार्ट का जो कार्यालय है अभी दो जगह चल रहा है। कापार्ट ने अपना मकान बनाया है और उस मकान में पूरी तरह से बिजली वगैरह भी नहीं आ सकी है तो कुछ आफिस वहां हैं कुछ यहां हैं। इस पर हमारा ज्यादा खर्चा भी हो रहा है तो हमने... **(व्यवधान)**

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी : आफिसर्स यहां हैं और आफिसर्स वहां भी हैं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : हां वहां भी हैं दो जगह हैं, तो हमारा यह फैसला हो चुका है कि तीन महीनों के अंदर हम दोनों आफिस का एक जगह ले आयेंगे।

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी : वह तो हो गया What about social commitment of the Director of CAPART or NCDO or whoever it night be? It is more important.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, यह सही है कि जो समर्पित और अनुभवी लोग हैं उनका संस्थाओं में हम लोग ले रहे हैं, चाहे वह एडवाइजरी कमेटी में हो जो जनरल बॉडी है उसकी या यह एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें हैं या और भी जगहों पर ले आये हैं, जैसे उपाध्यक्ष हैं यह सब हम ले रहे हैं और यह प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा समर्पित लोगों को, अनुभवी लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाये।

MR. CHAIRMAN: Question No. 123

*123 [*The questioners (Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare and Shri Mahendra Prasad) were absent. For Answer vide col. 34-35 infra.*)

MR. CHAIRMAN: Question No. 124.

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्वेश्चन 123 के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं।

श्री सभापति : क्वेश्चन-123 आया ही नहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्वेश्चन-123 का मैं रूल नं० 54-3 के तहत.. **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्वेश्चन-124 आ गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं क्वेश्चन 123 के लोग अबसेंट हैं।

श्री सभापति : या तो आपने पर्मीशन मांगी ही नहीं, मैंने दी नहीं आपको ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : निवेदन कर रही हूं कि यह सवाल बहुत अहम है हमारे लिए।

श्री सभापति : क्वेश्चन - 124 है I have passed on to Question No. 124. Rules do not permit me.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इस रूल के तहत, रूल कहता है यह **(व्यवधान)**

श्री सभापति : रूल मुझे स्टैंडाड हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो मैं इसीलिए आपसे.... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्वेश्चन-124

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री सभापति : मैं आपको समझा दूंगा, आप बाद में मिलियेगा तो।

किसानों को गेहूं के बढ़े हुए वसूली मूल्य का लाभ

*124. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :†

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 21 अप्रैल, 1990 को गेहूं के वसूली मूल्य में 15 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वे किसान जिन्होंने अपने उत्पादों को सरकारी एजेंसियों को इस तिथि से पूर्व बेचा था, इन बढ़े हुए मूल्यों का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गेहूं के बढ़े हुए वसूली मूल्यों के अतिरिक्त लाभ को सरकार द्वारा उन सभी किसानों को, जिन्होंने इस वर्ष अपने उत्पाद सरकारी एजेंसियों को बेचे हैं, न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन किसानों ने अपना गेहूं भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों को बढ़ा दिए गए 215 रु० प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य को वास्तव में लागू करने से पूर्व गेहूं के 200 रु० प्रति क्विंटल के पूर्व संशोधित समर्थन मूल्य पर बेच दिया था, उन्हें अन्तर मूल्य का भुगतान करने के बारे में 13 जुलाई, 1990 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I am glad that you have issued instructions and people are going to get the extra Rs. 15 per quintal. May I please be told as to what is the procedure to ensure that the payments would be made to the actual producers and not to the middlemen?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसानों को पैसा मिलने के लिये जिससे कि उसमें कोई धांधली न हो सके, एकाएउंट पेई चैक हों किसानों के नाम काटे जायें जिससे कि उनको पैसा मिल सके और उसमें किसी प्रकार की बीच में धांधली न हो सके।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, I have raised this question is that a large amount of wheat and the other produce is procured through middlemen. In the first instance, the small farmer sells it to a middleman when he needs money and then that is brought to the mandis, and then it is sold through these middlemen to the Food Corporation. Is the Minister aware of this? Have they found any way of overcoming this?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, यह बिचौलियों के माध्यम से सरकार नहीं लेती है बल्कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी एजेंसियां हैं वह किसानों से गेहूं या और खाद्यान्न पदार्थों को खरीदती हैं और उसके बाद जब एफ० सी० आई० गोदामों में ले लिया